

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

09/01/2021

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विजय सिंह कुदादा, पिता/पति - स्व० मोरन सिंह कुदादा, ग्राम- बादुड़ी, थाना मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-बादुड़ी, थाना नं0- 113, खाता न0- 81, प्लॉट न0-160 162, कमश: 0.05 0.07, कुल रकवा- 0.12 एकड़ भूमि क्रेता विरेन्द्र बिरुवा, पिता/पति- लखिन्द्र बिरुवा, ग्राम- बड़ा जयपुर, थाना- मुफ्फसिल, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा एवं अन्य के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1344, दिनांक 31.12.2020 के द्वारा प्राप्त है। घर मरम्मत एवं बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता विरेन्द्र बिरुवा, पिता/पति- लखिन्द्र बिरुवा, ग्राम- बड़ा जयपुर, थाना- मुफ्फसिल, के पास 69,600.00/- (उनहत्तर हजार छः सौ रुपये) मात्र। में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।


उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 2.00 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता विजय सिंह कुदादा, पिता/पति- स्व० मोरन सिंह कुदादा, ग्राम- बादुड़ी, थाना- मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- बादुड़ी, थाना नं0- 113, खाता न0- 81, प्लॉट न0-160 162, कमश: 0.05 0.07 कुल रकवा- 0.12 एकड़, भूमि को क्रेता विरेन्द्र बिरुवा, पिता/पति- लखिन्द्र बिरुवा, ग्राम- बड़ा जयपुर, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा